22/7/19 बहुलाल अपील पत्रावली पेश हुई। श्री RAA Shri का पद रिक्त है। P.O. Shri का कार्य पिछले ही पत्रावली पेश है। 26/7/19 को पेश हो। Kulla

26/7/2019 पत्रावली पेश हुई। बहुलाल बनाम रिस्पोंडेंट का पत्रावली पुनः तलब कर पत्रावली दिनांक 26/7/2019 को पेश हो।

26/7/2019 पत्रावली पेश हुई। बहुलाल बनाम राजस्व न्यायालय की पत्रावली पुनः तलब कर पत्रावली दिनांक 11/10/2019 को पेश हो। एक पक्षीय निर्णय की कार्यवाही दिनांक 11/10/2019 को की जाये।

11/10/19 पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलांट व रेस्पोंडेंट एवं GA उपस्थित। विद्वान वकील रेस्पोंडेंट द्वारा हस्तगत मामले में न्यायालय हाजा का ध्यान आकर्षित इस तथ्य की ओर किया कि आलोच्य अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 225 के तहत प्रस्तुत नहीं हो सकती क्योंकि जिस आदेश के तहत अपील किया जाना कथित किया है वह आदेश राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के प्रावधानों और धारा 91 के तहत पारित हुआ है। अधी० न्यायालय के आदेश में जिस निष्पादन आदेश का हवाला दिया गया है वह भी RLR Act 1956 के तहत बने नियमों में ही कायम होता है अतः RT Act 1955 की धारा 225 के तहत उक्त आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत हस्तगत अपील न्यायालय हाजा के श्रवणाधिकार से परे है इसलिए इस पर सुनवाई सक्षम न्यायालय में ही हो सकती है। आक्षेप के संबंध में पत्रावली का अवलोकन किया तो तथ्य सत्य पाए गए हैं। अपीलांट अभिभाषक भी तथ्यों से सहमत हैं लिहाजा उन्हें प्रस्तुत अपील मीमो व संलग्न प्रस्तुत दस्तावेज सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए लौटाये जाकर अपील श्रवणाधिकार से परे होने से खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर हो कम हो।

Chanmal Kanoj
रेलवे बेड
B.A.
(R.S.R. Act 1956)
R/030/96

अतिरिक्त कलेक्टर प्रशासनिक
कोटपूतली